रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 10, 2018/पौष 20, 1939
No. 19] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 10, 2018/PAUSA 20, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली,10 जनवरी, 2018

सं. 03 /2018-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि.20(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (52 of 1962), की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 82/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 24 अगस्त, 2017, सा.का.नि. 1064 (अ), दिनांक 24 अगस्त, 2017 के तहत प्रकाशित, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में , —

(क) सारणी में –1, —

(i) मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली से संबंधित क्रम सं. 2 को क्रम सं. 1 के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार पुन: लिखे गए क्रम सं. 1 के समक्ष कॉलम (3) में मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: —

"(i) आयुक्त सीमा शुल्क (एयर पोर्ट), दिल्ली;

(i क) आयुक्त सीमा शुल्क (सामान्य), दिल्ली;";

(ii) क्रम सं. 3 के समक्ष, मद (iv) के स्थान पर, कॉलम (3) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : —

"(iv) आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात-I), मुम्बई जोन-I;

(iv क) आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात-II), मुम्बई जोन-I; और";

(iii) क्रम सं. 7 के समक्ष, मद (iv), के पश्चात, कॉलम (3) में निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा : —

"(iv क) आयुक्त, सीमा शुल्क (VI), चेन्नई;";

(iv) क्रम सं. 11 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : —

"(i) आयुक्त, सीमा शुल्क, कोचीन; और

(ii) आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोचीन";

(ख) सारणी में –2, —

(i) क्रम सं. 1 के समक्ष, कॉलम (3) और (4) में मद (i) के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा : —

"(i) आयुक्त, सीमा शुल्क (एयरपोर्ट), दिल्ली;

(i क) आयुक्त, सीमा शुल्क (सामान्य), दिल्ली;";

(ii) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : —

क्र.सं.	क्षेत्र	अधिकारी का पदनाम	
(1)	(2)	(3)	(4)
"(6)	(i) मुम्बई पत्तन ; (ii) इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, मुलुन्द; (iii) महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिलों के अधिकार में आने वाले क्षेत्र : मुम्बई शहर, मुम्बई उपनगर, पालघर, थाणे और रायगढ़; (iv) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (सामान्य मुम्बई जोन-I	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (सामान्य) मुम्बई जोन-I के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात -I) मुम्बई, जोन-I	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात-I) मुम्बई जोन-I के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात- II), मुम्बई, जोन-I	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात- II) मुम्बई जोन-I के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात-I), मुम्बई, जोन-I.	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात- I) मुम्बई जोन-I के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात- II), मुम्बई, जोन-I	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात- II) मुम्बई जोन-I के नियंत्रण में काम कर रहे हों।";

(iii) क्रम सं. 7 के समक्ष, कॉलम (2) में मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा : —

"(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक जोन जो कि महाराष्ट्र राज्य की आधार रेखा के सामने और जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 के तहत बढ़ाकर लागू किया गया है।";

(iv) क्रम सं. (9) के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि को पुन: मद (i) के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए मद (i) के पश्चात निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: —

"(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक जोन जो कि महाराष्ट्र राज्य की आधार रेखा के सामने और जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 के तहत बढ़ाकर लागू किया गया है।";

(v) क्रम सं. (11) के समक्ष, कॉलम (2) में मद (ii), के पश्चात निम्नलिखित में अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: —

"(iii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक जोन जो कि पश्चिम बंगाल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की आधार रेखा के सामने और जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 के तहत बढ़ाकर लागू किया गया है।";

(vi) क्रम सं. (12) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: —

क्र.सं.	क्षेत्र	अधिकारी का पदनाम	
(1)	(2)	(3)	(4)
"(12)	(i) चेन्नई पत्तन, एन्नोर पत्तन (कामराजार पत्तन), लघु पत्तन कट्टूपल्ली, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वे क्षेत्र जो कि चेन्नई निगम के अंतर्गत आते हैं और तिरुवेल्लूर जिले का अम्बात्तुर, गुम्मीडिपून्डी, पूनामल्ली और पोन्नेरी ताल्लुक, ताम्बरम ताल्लुक और इन्लैण्ड कंटेनर डिपो जो कि कांचीपुरम जिले के श्रीपेरुम्बदूर ताल्लुक में स्थित है; (ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि तमिलनाडु राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया। (iii) चेन्नई विशेष आर्थिक जोन	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (I), पत्तन, चेन्नई।	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (I), एयरपोर्ट, चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (II), चेन्नई।	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (II), चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III), चेन्नई।	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III), चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		आयुक्त, सीमा शुल्क (IV), चेन्नई।	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (IV), चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		आयुक्त, सीमा शुल्क (VI), चेन्नई;	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (VI), चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (VII), एयर कार्गो कॉप्लेक्स, चेन्नई।	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (VII), एयर कार्गो काम्प्लेक्स, चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		आयुक्त, सीमा शुल्क, (VIII) (सामान्य), चेन्नई	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (VIII), (सामान्य) चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों";

(vii) क्रम सं. (14) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"(i) कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड़, कोडुगू, हसन, चिकमंगलूर, शिमोगा, बेलगांव, बीजापुर, उडुपी, गडग, धारवाड़, कोप्पल, बेल्लारी, रायचुर, बगलकोट, गुलबर्गा, बीदर और यादगीर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र जिसमें मंगलोर पत्तन का सम्पूर्ण क्षेत्र भी आता है;

(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि कर्नाटक राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया";

(viii) क्रम सं. (17)और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएग, यथा : —

क्र.सं.	क्षेत्र	अधिकारी का पदनाम	
(1)	(2)	(3)	(4)
"(17)	(क) तमिलनाडु राज्य का सम्पूर्ण क्षेत्र उनको छोड़कर जो निम्नलिखित के अधिकार क्षेत्र में आते हैं - (i) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (I), पत्तन, चेन्नई; (ii) आयुक्त, सीमा शुल्क (II) चेन्नई; (iii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III), चेन्नई; (iv) आयुक्त सीमा शुल्क (IV), चेन्नई; (iv क) आयुक्त सीमा शुल्क (VI), चेन्नई; (v) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (VII) एयर कार्गो काम्प्लेक्स, चेन्नई; (vi) आयुक्त सीमा शुल्क (VIII) (सामान्य), चेन्नई; (ख) माहे कम्यून और यमन क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र; (ग) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि तमिलनाडु राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुचिरापल्ली।	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुचिरापल्ली के नियंत्रण में काम कर रहे हों।";

(ix) क्रम सं. (18) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

"(i) तूतीकोनि पोर्ट और वे क्षेत्र जो तूतीकोरिन जिले में आते हैं;

(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि तमिलनाडु राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।";

(x) क्रम सं. (19) और (20) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: —

क्र. सं.	क्षेत्र	अधिकारी का पदनाम	
(1)	(2)	(3)	(4)
"(19)	(क) कोचीन पत्तन, कोचीन एयर पोर्ट, कोचीन विशेष आर्थिक जोन और वे सीमा शुल्क कार्यालय जो कि बृहद कोचीन विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। (ख) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि केरल राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।	आयुक्त, सीमा शुल्क, कोचीन	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप- आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क, कोचीन के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
(20)	निम्न का सम्पूर्ण क्षेत्र— (i) केरल राज्य; (ii) संघ राज्य क्षेत्र लक्ष्यद्वीप; (iii) पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का माहे कम्यून (iv) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि केरल राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोचीन	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप- आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोचीन के नियंत्रण में काम कर रहे हों";

(xi) क्रम सं. (21) के समक्ष, कॉलम (2) में मद (ग) के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा : —

"(ख) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि गुजरात राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।";

(xii) क्रम सं. (22) के समक्ष, कॉलम (2) में, मद (i) और (ii), के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : —

"(i) गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर (दासदा तालुक को छोड़कर), राजकोट, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ के जिलों के सभी क्षेत्र;

(ii) दमन और द्वीव संघ राज्य क्षेत्र का द्वीव ।

(iii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि गुजरात राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।";

(xiii) क्रम सं. (23) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि को पुन: मद (i) के रूप में लिखा जाएगा और ऐसे पुन: लिखे गए मद (i) के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा : —

"(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि गुजरात राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।";

(xiv) क्रम सं. (27) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि को पुन: मद (i) के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार पुन: लिखे गए मद (i) के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा : —

" (ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि उड़ीसा राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।

(xv) क्रम सं. (29) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा : —

"(i) आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम पोर्ट, गंगावरम पोर्ट, विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बैरूयाराम गांव स्थित कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कासिमकोटा मण्डल, विशाखापत्तनम जिला, विशाखापत्तनम, विशेष आर्थिक जोन और क्षेत्र जो कि विशाखापत्तनम के बृहद विशाखापत्तनम नगर निगम के अंतर्गत आते हैं;

(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।

(xvi) क्रम सं. (30) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि को पुन: मद (i) के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार पुन: लिखे गए मद (i) के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा : —

"(ii) पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का यनम जिला;

(iii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।";

(xvii) क्रम सं. (31) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि को पुन: मद (i) के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार पुन: लिखे गए मद (i) के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा : —

"(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया'';

(xviii) क्रम सं. (32) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि को पुन: मद (i) के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार पुन: लिखे गए मद (i) के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा : —

"(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटिनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि गोवा राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया".

[फा.सं. 450/100/2017 – सीमा शुल्क–IV]

जुबैर रियाज, निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 82/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 24 अगस्त, 2017 को सा.का.नि. 1064 (अ), दिनांक 24 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 119/2017-सीमा शुल्क, (गै.टे.), दिनांक 26 दिसम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1589 (अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2018

No. 03 /2018- Customs (N.T.)

G.S.R. 20 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 82/2017-Customs (N.T.), dated the 24th August, 2017, published vide number G.S.R. 1064(E), dated the 24th August, 2017, namely: —

In the said notification, —

(a) in Table –1, —

(i) serial number 2 relating to Chief Commissioner of Customs, Delhi shall be renumbered as serial number 1 and against serial number 1 as so renumbered, in column(3), for item (i), the following shall be substituted, namely: —

"(i) Commissioner of Customs(Airport), Delhi;

(i a) Commissioner of Customs (General), Delhi;";

(ii) against serial number 3, for item(iv), in column (3), the following shall be substituted, namely: —

"(iv) Commissioner of Customs (Export-I), Mumbai Zone-I;

(iv a) Commissioner of Customs (Export-II), Mumbai Zone-I; and";

(iii) against serial number 7, after item (iv), in column(3), the following shall be inserted, namely: —

"(iv a) Commissioner of Customs (VI), Chennai;";

(iv) against serial number 11, for the entries in column (3), the following shall be substituted, namely: —

"(i) Commissioner of Customs, Cochin; and

(ii) Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.";

(b) in Table–2, —

(i) against serial number 1, for item (i) in columns (3) and (4), the following shall respectively be substituted, namely: —

"(i) Commissioner of Customs(Airport), Delhi;

(i a) Commissioner of Customs (General), Delhi;";

(ii) for serial number 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

Sl. No.	Area	Designation of Officer	
(1)	(2)	(3)	(4)
"(6)	(i) Port of Mumbai; (ii) Inland Container Depot, Mulund; (iii) The area under the jurisdiction of following districts of Maharashtra: Mumbai City, Mumbai Suburban, Palghar, Thane and Raigad; (iv) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Maharashtra to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.	Principal Commissioner of Customs (General), Mumbai, Zone-I.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of Principal Commissioner of Customs (General), Mumbai Zone-I.
		Commissioner of Customs (Import-I) Mumbai, Zone-I.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of Commissioner of Customs (Import -I), Mumbai Zone-I.
		Commissioner of Customs (Import-II), Mumbai, Zone-I.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of Commissioner of Customs (Import-II), Mumbai Zone-I.
		Commissioner of Customs (Export-I), Mumbai, Zone-I.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of Commissioner of Customs (Export-I), Mumbai Zone-I.
		Commissioner of Customs (Export-II), Mumbai, Zone-I.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of Commissioner of Customs (Export-II), Mumbai Zone-I.”;

(iii) against serial number (7), for item (ii) in column (2), the following shall be substituted, namely: —

"(ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Maharashtra to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.";

(iv) against serial number (9), in column (2), the entry shall be renumbered as item (i) and after item (i) as so renumbered, the following shall be inserted, namely: —

"(ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Maharashtra to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.";

(v) against serial number (11), in column (2), after item(ii), the following shall be inserted, namely: —

"(iii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of West Bengal and Union territory of Andaman and Nicobar Islands to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.";

(vi) for serial number (12) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

Sl. No.	Area	Designation of Officer	
(1)	(2)	(3)	(4)
“(12)	(i) Port of Chennai, Port of Ennore (Kamarajar Port), Minor Port Kattupalli, the Anna International Airport and the area under the jurisdiction of the Chennai Corporation and Ambattur, Gummidipoondi, Poonamallee and Ponneri Taluks of Thiruvallur District, Tambaram Taluk and Inland Container Depots at Sriperumpudur Taluk of Kancheepuram District; (ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Tamil Nadu to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs’ notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002; (iii) Chennai Special Economic Zone.	Principal Commissioner of Customs (I), Airport, Chennai.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of Principal Commissioner of Customs (I), Airport, Chennai.
		Commissioner of Customs (II), Chennai.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of Commissioner of Customs (II), Chennai.
		Principal Commissioner of Customs (III), Chennai.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of Principal Commissioner of Customs (III), Chennai.
		Commissioner of Customs (IV), Chennai.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of Commissioner of Customs (IV), Chennai.
		Commissioner of Customs (VI), Chennai;	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of Commissioner of Customs (VI), Chennai;
		Principal Commissioner of Customs (VII), Air Cargo Complex, Chennai.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of Principal Commissioner of Customs (VII), Air Cargo Complex, Chennai.
		Commissioner of Customs (VIII) (General), Chennai	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of Principal Commissioner of Customs (VIII) (General), Chennai.”;

(vii) against serial number (14), in column (2), for the entry, the following shall be substituted, namely: —

“(i) The whole of the areas in the districts of Uttar Kannada, Dakshina Kannada, Kodugu, Hassan, Chickmagalur, Shimoga, Belgaum, Bijapur, Udupi, Gadag, Dharwad, Koppal, Bellary, Raichur, Bagalkot, Gulbarga, Bidar and Yadgir in the State of Karnataka including areas under Mangalore Port;

(ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Karnataka to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.";

(viii) for serial number (17) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

Sl. No.	Area	Designation of Officer	
(1)	(2)	(3)	(4)
"(17)	(a) The whole of the State of Tamil Nadu excluding the areas falling under the jurisdiction of – (i)Principal Commissioner of Customs (I), Airport, Chennai; (ii) Commissioner of Customs (II) Chennai; (iii)Principal Commissioner of Customs (III), Chennai; (iv)Commissioner of Customs (IV), Chennai; (iv a)Commissioner of Customs (VI), Chennai; (v)Principal Commissioner of Customs (VII)Air Cargo Complex, Chennai; (vi)Commissioner of Customs, (VIII) (General), Chennai; (b) The Union territory of Puducherry excluding Mahe Commune and Yanam Territory; (c) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Tamil Nadu to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.	Commissioner of Customs (Preventive), Tiruchirappalli.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of Commissioner of Customs (Preventive), Tiruchirappalli.”;

(ix) against serial number (18), in column (2), for the entry, the following shall be substituted, namely:—

"(i) Port of Tuticorin and the area under the jurisdiction of the district of Tuticorin;

(ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Tamil Nadu to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.";

(x) for serial numbers (19) and (20) and the entries relating thereto, the following shall respectively be substituted, namely: —

Sl. No.	Area	Designation of Officer	
(1)	(2)	(3)	(4)
"(19)	(a) Port of Cochin, Cochin Airport, Cochin Special Economic Zone	Commissioner of Customs, Cochin	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy

	and Customs formations under the area under the jurisdiction of Greater Cochin Development Authority. (b) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Kerala to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.		Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Cochin.
(20)	The whole of the — (i) State of Kerala; (ii) Union territory of Lakshadweep; (iii) Mahe Commune of the Union territory of Puducherry (iv) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Kerala to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.	Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, or Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.";

(xi) against serial number (21), in column(2), after item (c), the following shall be inserted, namely: —

"(d) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Gujarat to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.";

(xii) against serial number (22), in column (2), for items (i) and (ii), the following shall be substituted, namely: —

"(i)The whole of the area in the districts of Surendranagar (except Dasada Taluka), Rajkot, Porbandar, Devbhumi Dwarka, Jamnagar, Morbi, Amreli, Bhavnagar, Gir Somnath and Junagadh in the State of Gujarat;

(ii) Diu of the Union territory of Daman and Diu.

(iii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Gujarat to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.";

(xiii) against serial number (23), in column (2), the entry shall be renumbered as item (i) and after item (i) as so renumbered, the following shall be inserted, namely: —

" (ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the state of Gujarat to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.";

(xiv) against serial number (27), in column (2), the entry shall be renumbered as item (i) and after item (i) as so renumbered, the following shall be inserted, namely: —

" (ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Odisha to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.";

(xv) against serial number (29) in column (2), for the entry, the following shall be substituted, namely: —

"(i) Port of Vishakhapatnam, Gangavaram Port, Visakhapatnam International Airport, Container Freight Station at Bayyavaram Village, Kasimkota Mandal, Vishakhapatnam District, Vishakhapatnam, Special Economic Zone and areas under the Greater Vishakhapatnam Municipal Corporation of Vishakhapatnam in the state of Andhra Pradesh;

(iii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Andhra Pradesh to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.";

(xvi) against serial number (30), in column (2), the entry shall be renumbered as item (i) and after item (i) as so renumbered, the following shall be inserted, namely: —

"(ii)Yanam district of Union territory of Puducherry;

(iii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Andhra Pradesh to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.";

(xvii) against serial number (31), in column (2), the entry shall be renumbered as item (i) and after item (i) as so renumbered, the following shall be inserted, namely: —

"(ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Maharashtra to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.";

(xviii) against serial number (32), in column (2), the entry shall be renumbered as item (i) and after item (i) as so renumbered, the following shall be inserted, namely: —

"(ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Goa to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.".

[F. No. 450/100/2017 – Cus–IV]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)

Note: The principal notification No. 82/2017-Customs (N.T.), dated the 24th August, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R.1064 (E), dated the 24th August, 2017 and was last amended notification No. 119/2017-Customs (N.T.), dated the 26th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 1589(E), dated the 28th December, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2018

सं. 04/2018- सीमा शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि.21(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सा.का.नि. संख्या 1210(अ), दिनांक 28 सितम्बर, 2017 के तहत प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 92/2017-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 28 सितम्बर, 2017 में, एतद्वारा और आगे संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, कॉलम (3) में,-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, मद (i) हेतु, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(i) आयुक्त, सीमा शुल्क(हवाईअड्डा), दिल्ली;

(i क) आयुक्त, सीमा शुल्क (सामान्य),दिल्ली;";

(ख) क्रम संख्या 2 के समक्ष, मद (iv) हेतु, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(iv) आयुक्त, सीमा शुल्क(निर्यात-I), मुम्बई जोन I;

(iv क) आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात-II), मुम्बई जोन I.";

(ग) क्रम संख्या 2 के समक्ष, मद (iv) हेतु, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(iv क) आयुक्त, सीमा शुल्क(निर्यात-VI), चेन्नै;";

(घ) क्रम संख्या 16 के समक्ष, प्रविष्टियों हेतु, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i) सीमा शुल्क-आयुक्त, कोचीन; और

(ii) सीमा शुल्क-आयुक्त(निवारक), कोचीन ।"

[फा. सं. 450/100/2017 – सीमा शुल्क–IV]

जुबैर रियाज़, निदेशक (सीमा शुल्क)

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 92/2017-सीमा शुल्क (एन.टी.),दिनांक 28 सितम्बर, 2017 को सा.का.नि. संख्या 1210(अ), दिनांक 28 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. संख्या 1589(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, अधिसूचना सं.119/2017-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 द्वारा संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2018

No. 04/2018- Customs (N.T.)

G.S.R.21 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 92/2017-Customs (N.T.), dated the 28th September, 2017, published vide number G.S.R. 1210(E), dated the 28th September, 2017, namely : —

In the said notification, in the Table, in column (3),—

(a) against serial number 1, for item (i), the following shall be substituted, namely: —

"(i) Commissioner of Customs(Airport), Delhi;

(i a) Commissioner of Customs (General), Delhi;";

(b) against serial number 2, for item (iv), the following shall be substituted, namely: —

"(iv) Commissioner of Customs (Export-I), Mumbai Zone I;

(iv a) Commissioner of Customs (Export-II), Mumbai Zone I.";

(c) against serial number 5, after item (iv), the following shall be inserted, namely: —

" (iv a) Commissioner of Customs (VI), Chennai;";

(d) against serial number 16, for the entries, the following shall be substituted, namely:—

"(i) Commissioner of Customs, Cochin; and

(ii) Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.".

[F. No. 450/100/2017 – Cus–IV]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)

Note: The principal notification No. 92/2017-Customs (N.T.), dated the 28th September, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 1210(E), dated the 28th September, 2017 and was last amended by notification No. 119/2017-Customs (N.T.), dated the 26th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 1589(E), dated the 28th December, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.01.12 14:50:52 +05'30'